देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक छोटी सी जीत

लेखक - चित्रांशुल सिन्हा (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

12 मई, 2022

जब तक यूएपीए या यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक देशद्रोह का कानून अदालत के आदेशों के बावजूद अलग-अलग रूपों में हमारे समक्ष आता रहेगा।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए में निहित देशद्रोह के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई अंतरिम निर्देश जारी किए। अब इस मामले का विवाद काफी बढ़ गया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्रावधान किया कि संवैधानिकता का बचाव करने के बजाय, कानून पर कथित रूप से पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखा क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि "आजादी का अमृत महोत्सव" की भावना से इसकी समीक्षा की जाए।

न्यायालय ने पहली बार जुलाई 2021 में याचिकाओं पर सुनवाई की, जहाँ चुनौती केदारनाथ बनाम बिहार राज्य (1962) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का पिछला निर्णय था जिसने आईपीसी की धारा 124 ए की वैधता को बरकरार रखा था। केन्द्र सरकार को उन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था जो अप्रैल 2022 में मामलों को उठाए जाने तक ऐसा करने में विफल रहीं। अदालत ने इस पर 5 मई तक का समय दिया, लेकिन सरकार ने फिर से अतिरिक्त समय माँगा। विशेष रूप से, इस तिथि पर, भारत के महान्यायवादी केन्द्र सरकार के रुख से भिन्न थे (जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जा रहा था) और कहा कि जहाँ एक तरफ कानून संवैधानिक था, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना आवश्यक होगा और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने मौखिक रूप से तर्क दिया कि कानून जैसा है वैसा ही ठीक है।

अदालत ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए केन्द्र सरकार को 10 मई तक का समय दिया था, जिसमें विफल रहने पर वह इस सवाल पर फैसला करना चाहती थी कि क्या चुनौती को सात-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की आवश्यकता है। इसके बजाय, केन्द्र सरकार ने यह कहते हुए एक हलफनामा दायर किया कि वह कानून पर पुनर्विचार करेगी और अनुरोध किया कि चुनौती की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में अदालत की मौखिक टिप्पणियों, जहाँ उसने कानून के दुरुपयोग को अस्वीकार कर दिया, का सरकार के फैसले पर असर पड़ा है।

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव में लंबित मामलों में कोई कारक नहीं था और प्रावधान का दुरुपयोग जारी रहेगा, जबकि कानून सरकार के पुनर्विचार के अधीन होगा। केन्द्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए अंतरिम उपायों पर निर्देश देने के लिए एक दिन का समय माँगा है।

बुधवार को इसने एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जहाँ देशद्रोह के मामले तभी दर्ज किए जाएँगे जब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा इसे लिखित रूप में उचित ठहराया गया हो। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने कानून को पूरी तरह से निलंबित करने पर जोर दिया है। वास्तव में, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कानून के पूर्ण निलंबन के प्रस्तावित परिणामी निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लंबित कार्यवाही पर स्पष्ट रोक और नए मामलों के पंजीकरण पर रोक शामिल थी।

कुछ विचार-विमर्श के बाद, न्यायालय ने खुद को सरकार द्वारा प्रस्तावित सुझावों तक सीमित रखने से इनकार कर दिया और राज्य और केन्द्र सरकारों को नई प्राथमिकी दर्ज करने, लंबित जाँच जारी रखने या आईपीसी की धारा 124 ए के तहत लोगों को गिरफ्तार करने से रोकने का निर्देश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि यदि एक नया मामला दर्ज किया जाता है तो आरोपी को उचित अदालतों का दरवाजा खटखटाने और उसके आदेश के आधार पर राहत माँगने की स्वतंत्रता होगी। हालाँकि, इसने अधीनस्थ न्यायालयों के विवेक पर यह रिकॉर्ड करके छोड़ दिया कि ऐसी अदालतों को अपने आदेश और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों की जाँच करने के लिए "अनुरोध" किया जाता है।

निरपेक्ष निर्देशों के बजाय ऐसे अनुरोध जारी करने से राज्य और केंद्र सरकारों के लिए मामले दायर करने व जारी रखने के लिए इजाजत मिल जाएगी क्योंकि अनुरोध का पालन नहीं करने का एकमात्र परिणाम यह होगा कि आरोपी को फिर से जमानत लेने या गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अदालत की दया पर छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश अधिक मुखर और स्पष्ट होना चाहिए था और इसके गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक परिणाम प्रदान करना चाहिए था।

हालाँकि, न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा "परीक्षण, अपील और कार्यवाही" है, जो तब ऐसी अपीलों को भी स्थगित कर देगी जहाँ दोषसिद्धि को चुनौती दी जा रही है। न्यायालय को अपीलीय न्यायालयों को उन मामलों में उचित राहत प्रदान करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए जहाँ अभियुक्तों को उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान कैद में रखा गया है।

यह आदेश एक छोटी सी जीत प्रतीत होती है लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी भी छोड़ दिया गया है। साथ ही जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को देखा जाना अभी बाकी है। इस तथ्य से सबक लिया जाना चाहिए था कि देश भर में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज करना जारी रखा है, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसका कारण यह है कि भले ही प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया था, फिर भी यह कानून की किताब पर बना रहा। इसके लिए स्थानीय पुलिस की जागरूकता की कमी जिम्मेदार है।

इसके अलावा, आईपीसी की धारा 124 ए की भाषा को गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) में "गैर-कानूनी गतिविधियों" की परिभाषा के तहत दिखाया गया है कि जिसका देश भर में पत्रकारों और नागरिक समाज के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। यूएपीए के तहत जमानत से संबंधित प्रावधान इतने कड़े हैं कि इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। यह देशद्रोह के अपराध को एक संघीय अपराध के स्तर तक बढ़ा देता है और ऐसे अपराधों की जाँच तथा मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को शक्तियाँ प्रदान करता है।

जब तक यूएपीए या यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का निर्माण नहीं किया जाता है, तब तक देशद्रोह का कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के बावजूद अलग-अलग रूपों में सामने आता रहेगा।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

क्या है देशद्रोह कानून?

- इंडियन पीनल कोड, यानी IPC के सेक्शन 124 ए में देशद्रोह की परिभाषा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान का अपमान या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है तो उसके खिलाफ IPC सेक्शन 124 ए के तहत देशद्रोह का केस दर्ज हो सकता है।
- इसके अलावा ऐसा कोई भाषण या अभिव्यक्ति जो देश में सरकार के खिलाफ घृणा, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, वह भी देशद्रोह में आता है।
- साथ ही अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से जाने-अनजाने संबंध रखता है या उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देता है, तो भी वह देशद्रोह के दायरे में आता है।

पृष्ठभूमि

- इस कानून को मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार-राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1870 में जब इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई तब सर जेम्स स्टीफन द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया और इसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 124 ए को शामिल किया गया।
- इसका सबसे पहले इस्तेमाल अंग्रेजों ने 1897 ई. में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया था।
- हालाँकि, भारत में देशद्रोह कानून बनाने वाले अंग्रेजों का देश ब्रिटेन 2009 में इस कानून को अपने देश से समाप्त कर चुका है।
- अभी भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में ये कानून लागू है। इन देशों में-ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कई देश शामिल हैं।

इसके तहत सजा

- देशद्रोह मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
- देशद्रोह गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है। देशद्रोह का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
- साथ ही उसका पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है। जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. देशद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. देशद्रोह मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
2. वर्ष 1870 में भारतीय दंड संहिता में धारा 124 ए को शामिल किया गया था।
3. इस कानून को ब्रिटिश इतिहासकार-राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(क) 1 और 2 दोनों **(ख)** केवल 3

(ग) 2 और 3 **(घ)** उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Sedition Law:

1. A person who found guilty in a sedition case can be punished with imprisonment for a term ranging from 3 years to life imprisonment.
2. Section 124A was included in the Indian Penal Code in the year 1870.
3. This law was prepared by the British historian-politician Thomas Macaulay.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2 **(b)** Only 3

(c) 2 and 3 **(d)** All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वर्तमान परिदृश्य में देशद्रोह कानून की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करे कि क्या भारत का देशद्रोह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के लिए अभिशाप बन गया है? (250 शब्द)

Q. Throw light on the relevance of the sedition law in the present scenario; discuss whether India's sedition law has become a curse to free speech and right to dissent? (250 Words)

World
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।